Russian Translator SRO 148/2000

रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33001/2000

REGD. NO. D. L.-33001/2000

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 18] नई दिल्ली, शनिवार, जुलाई 29, 2000/श्रावण 7, 1922

No. 18] NEW DELHI, SATURDAY, JULY 29, 2000/SRAVANA 7, 1922

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके

Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

भाग-II—खण्ड 4

PART II—SECTION 4

रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किए गए सांविधिक नियम और आदेश
Statutory Rules and Orders issued by the Ministry of Defence

रक्षा मंत्रालय

नई दिल्ली, 12 जून, 2000

का.नि.आ. 148.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और नौसेना समूह "ग" (अनौद्योगिक पद) रूसी भाषा अनुवादक भर्ती नियम, 1991 को जहां तक उनका संबंध रूसी भाषा अनुवादक के पद से है अधिक्रांत करते हुए भारतीय नौसेना में रूसी भाषा अनुवादक के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं अर्थात् :—

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ:** (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम नौसेना समूह "ख" (अननुसचिवीय पद) रूसी भाषा अनुवादक भर्ती नियम, 2000 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

लागू होना—ये नियम इससे उपाबद्ध अनुसूची के स्तम्भ 1 में विनिर्दिष्ट पदों को लागू होंगे।

2. **पद संख्या, वर्गीकरण और वेतनमान :** उक्त पदों की संख्या उनका वर्गीकरण और उनके वेतनमान वे होंगे, जो उक्त अनुसूची के स्तम्भ 2 से स्तम्भ 5 में विनिर्दिष्ट हैं।

3. **भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं आदि :** उक्त पदों पर भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अर्हताएं और उनसे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो पूर्वोक्त अनुसूची के स्तम्भ 6 से स्तम्भ 14 में विनिर्दिष्ट हैं।

4. निरर्हता : वह व्यक्ति:—

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है, या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है,

उक्त पदों में से किसी पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार है तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

5. **शिथिल करने की शक्ति :** जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लि कारण है उन्हें लेखबद्ध करके इन नियमों के किसी उपबंध की किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी

6. व्यावृत्ति : इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और [illegible] पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका के सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर निकाले गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, और अन्य विशेष प्र व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतनमान	चयन सह ज्येष्ठता या योग्यता के पर आधार चयन अथवा अचयन पद	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयुसीमा	सेवा में जोड़े गए वर्षों फायदा केन्द्रीय सिवि सेवा (पेंशन) नियम के नियम 30 के अधी अनुज्ञेय है या नहीं।
1	2	3	4	5	6	7
रूसी भाषा अनुवादक	*03(तीन) (2000) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा समूह "ख" अराजपत्रित अननुसचिवीय	5500-175-9000 रु.	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	नहीं

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं	परिवीक्षा की अव कोई हो
8	9	10
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

भर्ती की पद्धति : भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरे जाने वाले पदों की प्रतिशतता	प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति/प्रतिनियुवि आमेलन किया जाएगा।
11	12
आमेलन/प्रतिनियुक्ति/भूतपूर्व सैनिकों सैनिकों का पुनर्नियोजन।	आमेलन/प्रतिनियुक्ति :— नौसेना की निम्नतर विरचनाओं के ऐसे अधिकारी :— (क)(i) जो नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हैं, या (ii) जिन्होंने 5000-8000 रु. के वेतनमान वाले पदों पर 3 वर्ष नियमित सेवा क है, या (iii) जिन्होंने 4500-7000 रु. के वेतनमान वाले पदों पर छह वर्ष नियमित सेवा है, और

Russian Translator SRO 148/2000

11	12
	(ख) जिनके पास निम्नलिखित शैक्षिक अर्हताएं और अनुभव हैं : आवश्यक:— (i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय की बैचलर डिग्री या समतुल्य, अधिमानत : विज्ञान में। (ii) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय/संस्थान से रूसी भाषा में डिप्लोमा। (iii) तकनीकी दस्तावेजों का रूसी भाषा से अंग्रेजी में और विपर्येन अनुवाद करने का एक वर्ष का अनुभव। वांछनीय :— किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय/संस्था से रूसी भाषा में उच्च डिप्लोमा। प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केंद्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन/विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी। प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयुसीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी। पुनर्नियोजन :— सशस्त्र बल के ऐसे कार्मिकों के संबंध में भी विचार किया जाएगा जो एक वर्ष की अवधि के भीतर सेवा निवृत्त होने वाले हैं या रिजर्व में स्थानांतरित किए जाने वाले हैं। यदि उनके पास ऊपर स्तम्भ 12 (ख) में उल्लिखित अर्हताएं है आरंभ में ऐसे व्यक्तियों को जो कार्य कर रहे हैं प्रतिनियुक्ति पर नियुक्त किया जाएगा। तत्पश्चात उनके संबंध में पुनर्नियोजन के आधार पर नियुक्ति के लिए विचार किया जाएगा (सिविल पदों के प्रतिवेदन से अधिवर्षिता की आयु तक)।

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा।
13	14
लागू नहीं होता	जब कोई अधिकारी आमेलन के आधार पर नियुक्ति के संबंध में विचार किए जाने के क्षेत्र में हो तो संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक है।

[सी पी(एन जी)/2848/आर टी/आर आर]

रीता चटर्जी, उप सचिव

MINISTTRY OF DEFENCE

New Delhi, the 12th June, 2000

SRO. 148.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, and in supersession of the Navy Group 'C' (Non-Industrial Post) Russian Translator Recruitment Rules, 1991, in so far as they relate to the post of Russian Translator the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment of the post of Russian Translator in the Indian Navy, namely :—

1. Short title and commencement.— (1) These rules may be called the Nevy Group 'B' (Non-Ministerial post) Russian Translator Recruitment Rules, 2000.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Application.**—These rules shall apply to the posts specified in Column 1 of the Schedule annexed hereto.

3. **Number, classification and scales of pay.**—The number of the said posts, their classification and the scales of pay attached thereto shall be as specified in columns 2 to 5 of the said Schedule.

4. **Method of recruitment, age limit, other qualification etc.**—The method of recruitment, age limit, qualifications and other matters connected therewith shall be as specified in columns 6 to 14 of the Schedule aforesaid.

5. **Disqualification :** No person,—

(a) Who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living, or

(b) Who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person, shall be eligible for appointment to any of the said posts : Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for doing so, exempt any person from the operation of this rule.

6. **Power to relax :**—Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, and for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

7. **Saving :**—Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of the Post	Number of posts	Classification	Scale of pay	Whether selection-cum-seniority or selection by merit	Age limit for direct recruits	Whether benefit of added years of service admissible under Rule 30 of the Central Civil Services (Pension) Rules 1972	Educational and other qualifications required for direct recruits
1	2	3	4	5	6	7	8
Russian Translator	*03 (three) (2000) *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Group 'B', Non-Gazetted, Non-Ministerial.	5500-175-9000	Not applicable	Not applicable	No	Not applicable

Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	Period of probation if any	Method of recruitment whether by direct recruitment or by absorption or by promotion and percentage of the posts to be filled by various methods.	In case of recruitment by promotion or absorption, grades from which promotion/absorption to be made	If a Departmental Promotion Committee exists what is its composition.	Circumstances under which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment.
9	10	11	12	13	14
Not applicable	Not applicable	Absorption/ Deputation/ Re-employment of Ex-Servicemen	**Absorption/Deputation :** Officers of lower formulations of the Navy :— (a) (i) holding analogous posts on regular basis; or (ii) with 3 years' regular service in the scale of Rs. 5000-8000; or	Not applicable	Consultation with Union Public Service Commission necessary when an

9	10	11	12	13	14
			(iii) with 6 years' regular service in posts in the Scale of Rs. 4500-7000; and (b) Possessing the following Educational Qualifications and Experience : **Essential :** (i) Bachelor's Degree from a recognised University, or its equivalent, preferably in Science. (ii) diploma in Russian Language from a recognised University/Institution. (iii) One years' experience in translation of technical documents from Russian to English and vice-versa. **Desirable :** Advance Diploma in Russian language from a recognised University/ Institution (Period of deputation including period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other Organisation/ Department of the Central Government shall ordinarily not to exceed 3 years. The maximum age limit for appointment by absorption/ deputation shall be not exceeding 56 years as on the closing date of the receipt of applications). **Re-employment :** The Armed Forces personnel due to retire or have been transferred to reserve list will be considered for appointment. If they possess the qualification laid down in 12 (b) above, initially persons who are working will be appointed on deputation. Thereafter they will be considered for appointment on re-employment basis (Age of superannuation with reference to civil posts).		Officer is in the field of consideration for appointment on absorption basis.

[CP(NG)/2848/RT/RRs]

RITA CHATTERJEE, Dy. Secy.

नई दिल्ली, 20 जून, 2000

का.नि.आ. 149.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारतीय नौसेना (समूह 'ग' और समूह 'घ' पद) भर्ती नियम, 1979 को, उन बातों के सिवाए अधिक्रान्त करते हुए जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है, भारतीय नौसेना रक्षा मंत्रालय में कतिपय समूह 'ग' और समूह 'घ' (गैर औद्योगिक) पदों पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं अर्थात् :—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ—

(i) इन नियमों का संक्षिप्त नाम भारतीय नौसेना (समूह 'ग' और समूह 'घ' पद) भर्ती नियम, 2000 है।

(ii) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. पद संख्या, वर्गीकरण और वेतनमान— उक्त पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण और उनके वेतनमान वे होंगे, जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तम्भ 2 से स्तम्भ 4 में विनिर्दिष्ट हैं।